



2026:AHC: 167451

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 765/1988

चंद्रीका

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता	: आबिदा सैयद (एसी), आदया प्रसाद तिवारी, हरि नारायण सिंह, ओम प्रकाश सिंह, राम चंद्र सोलंकी, रवींद्र कुमार यादव
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	: ए.जी.ए.

1.7.2026 को निर्णय सुरक्षित

11.8.2026 को निर्णय पारित

न्यायालय संख्या- 90

माननीय न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद

1. अपीलार्थी के लिए न्याय मित्र डॉ. आबिदा सैयद और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार सिंह को सुना गया।
2. यह अपील अपर सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 336 वर्ष 1987, थाना शाहपुर, जिला गोरखपुर में पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 1.4.1988 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसमें अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 323 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत चार वर्ष के कठोर कारावास और भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अंतर्गत छह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में यह है कि सूचनादाता, राजेंद्र, पुत्र मुन्नी लाल, निवासी ग्राम सरकिन जंगल तुलसी राम (अकोलवा), थाना शाहपुर, जिला गोरखपुर ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि 12.04.1986 को लगभग 4:30 बजे शाम, उसकी बहन, जिसकी आयु लगभग 12 वर्ष है, शौच के लिए घर से बाहर गई थी। यह आरोप है कि जब वह उनके घर के उत्तर में, बिछिया पी.ए.सी. कैंप से सटे नीलगिरी के बाग के पास स्थित गड्ढे में पहुंची, तो अभियुक्त, चंद्रिका, पुत्र दुलारे यादव, वहां पहुंचा और उसे एकांत स्थान पर अकेला पाकर, बलात्कार करने के आशय से उसे पकड़ लिया।

4. यह आगे आरोप है कि जब पीड़िता ने शोर मचाया, तो अभियुक्त ने उसे धमकाया और उसके साथ मारपीट की, उसके कपड़े फाड़ दिए, और उसके मुंह में कपड़े का एक टुकड़ा ठूसकर उसका मुंह बंद कर दिया। इसके बावजूद, पीड़िता मदद के लिए चिल्लाने में सफल रही। उसकी चीखें सुनकर, उसी गांव का निवासी श्रीनिवास, पुत्र बलिहारी, घटनास्थल पर पहुंचा और उसने कथित तौर पर अभियुक्त को पीड़िता के साथ बलात्कार करते हुए देखा। इसके बाद, श्रीनिवास ने शोर मचाया और अभियुक्त को पकड़ने का प्रयास किया, जिस पर अभियुक्त उठा और घटनास्थल से भागने का प्रयास किया।

5. यह भी आरोप है कि शोर सुनकर, सूचनादाता, गणेश, पुत्र जवाहर लाल, लाला, पुत्र श्याम लाल, राज बहादुर, पुत्र राम लाल, और कई अन्य ग्रामीणों के साथ घटनास्थल पर पहुंचा। उन्होंने अभियुक्त को घेर लिया और पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट भी की। तत्पश्चात, सूचनादाता द्वारा पूछे जाने पर, पीड़िता ने पूरी घटना सुनाई। इस बीच, बिछिया पुलिस चौकी से दो कांस्टेबल भी सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंच गए। उनकी सहायता से, अभियुक्त को अभिरक्षा में ले लिया गया और थाने लाया गया, जिसके बाद वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध विधि के अनुसार उचित विधिक कार्रवाई की प्रार्थना की गई।

6. पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण 12.4.1985 को रात 11:05 बजे हुआ। आंतरिक परीक्षण के दौरान, जननांगों पर कोई अस्थि-भंग या चोट नहीं पाई गई, और उसे उसकी आयु के निर्धारण के लिए रेडियोलॉजिस्ट के पास भेजा गया। 12.9.1985 को किए गए चिकित्सीय परीक्षण के दौरान, पीड़िता के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई गईं:

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



i. चेहरे के (दाएं) तरफ, (दाएं) आंख के पार्श्व उपास्थि से 3 सेमी नीचे 3 सेमी x 2 सेमी आकार का खरोंचा।

ii. (दाएं) कॉलरबोन के मध्य भाग में, मध्य सिरे से 3 सेमी दूर 4 सेमी x 2 सेमी आकार की नील वाली सूजन। निगरानी में रखा गया। (दाएं) कॉलरबोन के एक्स-रे की सलाह दी गई - एपी जॉइंट।

iii. (बाएं) ऊपरी और निचले पलकों के चारों ओर नील वाली सूजन, नीले-लाल रंग की।

iv. ठुड्डी पर, निचले होंठ से 1 सेमी नीचे 1 सेमी x ½ सेमी आकार का फटा हुआ घाव। थक्का जमा हुआ रक्त मौजूद।

v. छाती के सामने, (दाएं) कॉलरबोन तक फैले हुए 10 सेमी x 8 सेमी के क्षेत्र में, 3 सेमी x 1 सेमी से 1 सेमी x ½ सेमी आकार की कई नीलगू निशान।

vi. (बाएं) अग्रबाहु के मध्य में, कलाई के जोड़ से 9 सेमी ऊपर ½ सेमी x ½ सेमी आकार का फटा हुआ घाव। थक्का जमा हुआ रक्त मौजूद।

7. डॉक्टर की राय में, चोट संख्या 2 से 6 किसी कुंद, कठोर वस्तु से कारित की गई थीं। चोट संख्या 2 को (दाएं) कॉलरबोन के लिए निगरानी में रखा गया था; अन्य साधारण थीं। चोट संख्या 1 किसी कठोर वस्तु से रगड़ के कारण कारित हुई थी और साधारण थी। सभी चोटें अवधि में ताजी थीं।

8. संपूर्ण विवेचना के पश्चात, अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया। 29.6.1987 को भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 354, 376 के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए। संपूर्ण विचारण के पश्चात, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 376 के अंतर्गत दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया।

9. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने पुरजोर तर्क दिया है कि अपीलार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में तात्त्विक विरोधाभास हैं। हालांकि, विद्वान विचारण न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का उसके उचित परिप्रेक्ष्य और विधि के अनुसार विश्लेषण करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



और आदेश अपास्त किए जाने योग्य हैं, और अपीलार्थी उस पर लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किए जाने योग्य है। इसलिए, प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील स्वीकार की जाए।

10. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने पुरजोर तर्क दिया है कि अपीलार्थी ने उसके विरुद्ध अभिकथित अपराध कारित किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करके अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है। विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का उचित मूल्यांकन किया है और विधि के अनुसार दोषसिद्धि दर्ज की है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि आक्षेपित निर्णय और आदेश किसी भी ऐसी अवैधता या दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। तदनुसार, वर्तमान अपील, गुण-दोष रहित होने के कारण, खारिज किए जाने योग्य है।

11. पीड़िता के भाई, राजेंद्र प्रसाद, जिसने पी.डब्ल्यू.-1 के रूप में गवाही दिया, ने कथन किया कि घटना के समय लगभग सवा वर्ष पूर्व, शाम 4:30 बजे, उसकी बहन, जिसकी आयु उस समय लगभग बारह वर्ष थी, शौच के लिए उनके घर से जगदंबा श्रीवास्तव के नीलगिरी के बाग की ओर गई थी, जहां एक गड्ढा भी था। उस दिशा से, उसने श्रीनिवास और अपनी बहन की आवाज़ सुनी। इसके बाद, वह जगदंबा प्रसाद श्रीवास्तव के बाग की ओर दौड़ा। उसके अलावा, गणेश, राज बहादुर, लाला और अन्य लोग भी उसके साथ गए। उन्होंने देखा कि अभियुक्त, चंद्रिका, जो न्यायालय में उपस्थित था, बाग से उत्तर की ओर भाग रहा था। उसकी बहन बाग में रो रही थी। उसने उन्हें बताया कि चंद्रिका ने उसके साथ बलात्कार किया था, उसके साथ मारपीट की थी और उसके कपड़े फाड़ दिए थे।

12. उन्होंने पीछा करके चंद्रिका को पकड़ लिया, जो न्यायालय में उपस्थित है। इस बीच, दो कांस्टेबल मौके पर पहुंच गए। कांस्टेबलों ने अभियुक्त को अभिरक्षा में ले लिया और थाने की ओर चल पड़े। गवाह रिपोर्ट लिखवाने के लिए मौके पर ही रुका रहा। तत्पश्चात, उसने राज कुमार से रिपोर्ट लिखवाई। अभिलेख पर उपलब्ध लिखित रिपोर्ट दिखाए जाने पर, गवाह ने इसे उसी रिपोर्ट के रूप में पहचाना जो उसके कहने पर लिखी गई थी। इस पर उसके हस्ताक्षर हैं और इसे प्रदर्श क-1 के रूप में चिह्नित किया गया। उसे रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई, और उसने पुष्टि की कि उसने जो कुछ भी कहा था वह उसमें सही ढंग से दर्ज किया गया था।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



13. तत्पश्चात्, वह, उसकी बहन, अभियुक्त चंद्रिका, और दोनों कांस्टेबल पुलिस स्टेशन गए, जहां उसने रिपोर्ट प्रस्तुत किया। थानाध्यक्ष (दरोगा जी) पुलिस स्टेशन में उपस्थित थे और उन्होंने उसका बयान दर्ज किया। तत्पश्चात्, दरोगा जी उसकी बहन को जिला (सदर) अस्पताल ले गए, जहां उसका चिकित्सीय परीक्षण किया गया। घटना के समय, पीड़िता ने सलवार और एक समीज पहनी हुई थी। दरोगा जी ने उन कपड़ों को अपने कब्जे में ले लिया, उन्हें सील कर दिया, और आवश्यक जब्ती फर्द तैयार किए, जो अभिलेख पर उपलब्ध हैं और उन्हें प्रदर्शक-2 और क-3 के रूप में चिह्नित किया गया। गवाह ने उन दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को पहचाना।

14. अपनी जिरह में, पी.डब्ल्यू.-1 ने गवाही दिया कि उसने अपना स्वयं का अधिवक्ता, श्री मुसाफिर सिंह भी नियुक्त किया था। वह पिछले दिन उनसे मिला था। कोई अन्य गवाह उसके साथ नहीं गया था। उसने वर्तमान वाद के संबंध में उनसे बात की थी। वह अपने अधिवक्ता के घर नहीं गया था; बल्कि, वह शनिवार को न्यायालय परिसर में उनसे तब मिला जब अधिवक्ता ऊपरी न्यायालय में एक मामले की पैरवी कर रहे थे। अधिवक्ता ने उससे कहा, "आओ, जब हम नीचे जाएंगे, तब उन्हें बताना।" आज, अपनी मर्जी से, गवाह ने कहा कि अधिवक्ता ने उसे केवल यह सूचित किया कि मामला खारिज हो गया है और फिर वे चले गए। अपनी गवाही की तिथि तक, अधिवक्ता ने उसे कभी निर्देश नहीं दिया था कि उसे वर्तमान मामले में क्या गवाही देनी है। हालांकि, जिस दिन न्यायालय के समक्ष उसका बयान दर्ज किया गया, विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने उसे उन मामलों के बारे में सूचित किया था जिन पर उसे गवाही देनी थी। शासकीय अधिवक्ता ने इसी प्रकार अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों को भी जानकारी दी थी।

15. गवाह ने आगे कहा कि अभियुक्त, चंद्रिका यादव, उसके गांव से लगभग एक किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य गांव का निवासी है। उसे नहीं पता था कि क्या अभियुक्त के पास कोई गाय या भैंस थी। (पूर्व में, गवाह ने कहा था कि अभियुक्त के पास एक भैंस थी।) उसने स्पष्ट किया कि उसने ऐसा केवल इसलिए कहा था क्योंकि अभियुक्त अहीर जाति का है, जिसके सदस्य सामान्यतः भैंस पालते हैं। वास्तव में, वह कभी अभियुक्त के घर नहीं गया था। उसने आगे कहा कि अभियुक्त घटनास्थल पर कोई भैंस नहीं लाया था।

16. गवाह ने इस सुझाव से इनकार किया कि अभियुक्त का खेत नीलगिरी के बाग के ठीक पश्चिम में स्थित था। उसके अनुसार, अभियुक्त के पास बाग से सटी कोई कृषि भूमि नहीं थी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अभियुक्त के पिता का नाम दुलारे यादव है। हालांकि, गवाह यह नहीं बता सका कि दुलारे यादव के पास बाग के पास कोई भूमि थी या नहीं। स्वेच्छा से, गवाह ने कहा कि उसके पास स्वयं कोई कृषि भूमि नहीं थी। उसने इस सुझाव से इनकार किया कि घटनास्थल के पास अभियुक्त की कृषि भूमि थी या वह जानबूझकर इस तथ्य को छिपा रहा था।

17. गवाह ने कहा कि वह घटना से पूर्व भी अभियुक्त चंद्रिका को जानता था और उसके नाम तथा उसके गांव के नाम से भी अवगत था। वह अभियुक्त के गांव के केवल कुछ लोगों को जानता था, विशेष रूप से अपनी जाति के लोगों को। वह चमार जाति का है, और अभियोजन पक्ष के सभी गवाह भी उसी जाति के हैं। उसका घर बाग के पश्चिम में लगभग एक सौ कदम की दूरी पर स्थित है।

18. गवाह ने आगे कहा कि घटना के पश्चात उसे रेलवे में रोजगार मिल गया। घटना के समय, वह बेरोजगार था। परिवार में दो भाई और दो बहनें हैं, और उसके पिता गोंडा में पी.ए.सी. में कांस्टेबल के रूप में कार्यरत थे। परिवार के घरेलू खर्च उसके पिता की कमाई से पूरे होते थे। वह भाई-बहनों में सबसे बड़ा है। अपनी गवाही के समय उसकी आयु लगभग उन्नीस से बीस वर्ष थी। उसके बाद एक बहन थी जिसकी तब से मृत्यु हो चुकी है। वह उससे लगभग दो से ढाई वर्ष छोटी थी। एक अन्य बहन, जो मृतक बहन से लगभग एक वर्ष छोटी थी, जीवित है। पीड़िता उस बहन से लगभग ढाई वर्ष छोटी है।

19. गवाह ने आगे गवाही दी कि घटना से ठीक पूर्व, जब वह अपने घर पर था, उसने श्रीनिवास को चिल्लाते हुए सुना, "पकड़ो, पकड़ो," और अपनी बहन के रोने की आवाज़ भी सुनी। उसने अपनी बहन को चिल्लाते हुए नहीं सुना। उसने स्वीकार किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसने यह लिखवाया था कि उसने श्रीनिवास और अपनी बहन दोनों को चिल्लाते हुए सुना था। हालांकि, यह तथ्य कि उसने अपनी बहन को रोते हुए सुना था, लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श क-1) में उल्लिखित नहीं था। उसने स्पष्ट किया कि चूंकि रिपोर्ट जल्दबाजी में दर्ज कराई गई थी, इसलिए यह चूक हो सकती है। उसने आगे कहा कि यद्यपि दरोगा जी ने विवेचना के दौरान उसका बयान दर्ज किया था, उसने विवेचना अधिकारी के समक्ष यह नहीं कहा था कि वह अपनी बहन के रोने या चिल्लाने की आवाज़ सुनकर घटनास्थल पर पहुंचा था।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



20. उसने आगे गवाही दी कि उसने केवल कक्षा छह (VI) तक अध्ययन किया था। लेखक ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श क-1) लिखी और तत्पश्चात उसे पढ़कर सुनाई। उसने लेखक को यह नहीं बताया कि उसने यह उल्लेख करना छोड़ दिया है कि उसकी बहन रो रही थी, न ही उसने उसे उक्त तथ्य को शामिल करने के लिए कहा। उसने स्वेच्छा से कहा कि उस समय वह अपने होश में नहीं था।

21. उसने आगे कहा कि उसकी बहन के रोने की आवाज़ उसके घर तक नहीं पहुंची क्योंकि वह बाग में स्थित एक गड्ढे के अंदर थी। गड्ढा लगभग एक गज गहरा था। घटना के पश्चात उसने विवेचना अधिकारी को उक्त गड्ढा नहीं दिखाया। जब विवेचना अधिकारी पहुंचे, तो वह अपनी बहन के साथ अस्पताल में था। परिणामस्वरूप, जब विवेचना अधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तब वह उपस्थित नहीं था।

22. उसका घर नीलगिरी के बाग से दक्षिण में लगभग 150 कदम की दूरी पर स्थित है। चीखें सुनने से ठीक पूर्व, वह अपने घर पर बैठा था। गणेश और लाला के घर उसके घर के पूर्व में स्थित हैं, जबकि राज बहादुर का घर उसके उत्तर-पूर्व में स्थित है। गणेश का घर उसके घर से लगभग 15-20 कदम दूर है, लाला का घर लगभग 25 कदम दूर है, और राज बहादुर का घर लाला के घर से सटा हुआ है। चीखें सुनकर, वह अकेला अपने घर से दौड़ा, और उसके तुरंत बाद अन्य गवाह भी मौके पर पहुंच गए। उसकी बहन बाग के दक्षिणी हिस्से के अंदर थी। जब वह मौके पर पहुंचा, तो वह ज़मीन पर पड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, और उसे चोटें आई थीं। वह पीठ के बल लेटी हुई थी, उसका सिर दक्षिण की ओर और पैर उत्तर की ओर थे। उसके पूछने पर, वह रोई और उसे बताया कि अभियुक्त चंद्रिका ने उसके साथ बलात्कार किया है और उसके साथ मारपीट भी किया है। उसने लगभग पांच से सात मिनट तक अपनी बहन से बात किया। गवाह और कई अन्य लोग वहां उपस्थित थे। गवाहों ने घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर, उसी बाग के अंदर अभियुक्त चंद्रिका को पकड़ लिया। उसे पकड़ने के पश्चात, लोगों ने उसके साथ हाथों से मारपीट किया।

23. उसने आगे कहा कि उसकी बहन की सलवार पर कुछ जगहों पर खून के धब्बे थे। उसने स्वेच्छा से कहा कि खून उसके चेहरे से आया था, और उसने अपनी सलवार से इसे पोंछा था। उसने कथित बलात्कार के कारण अपनी बहन के शरीर से खून निकलते नहीं देखा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



उसकी बहन अभी भी उसके घर पर रह रही है और उसकी शादी अभी तक नहीं हुई है। उसने आगे कहा कि पुलिस अभियुक्त चंद्रिका को घटनास्थल से ले गई। तत्पश्चात, वह घर लौटा और प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवाई। रिपोर्ट लिखवाने में उसे लगभग दस मिनट लगे।

24. उसे नहीं पता कि गवाह घटनास्थल से अपने-अपने घरों को लौट गए या कहीं और गए; हालांकि, वे चंद्रिका के साथ नहीं गए। पुलिस स्टेशन उसके घर से लगभग एक कोस की दूरी पर स्थित है। उसे नहीं पता कि उसके घर और पुलिस स्टेशन के बीच की दूरी एक किलोमीटर से अधिक है या नहीं। जिस समय रिपोर्ट लिखी जा रही थी, उसकी मां पुलिस स्टेशन में उसकी बहन और कांस्टेबलों के साथ थीं। रिपोर्ट लिखवाने के पश्चात, वह सीधे पुलिस स्टेशन गया। कांस्टेबलों ने अभियुक्त को एक गमछे (सूती तौलिया) से बांध दिया था, संभवतः उसके हाथों के चारों ओर। वह अपनी साइकिल से पुलिस स्टेशन गया और रास्ते में उसे कांस्टेबल मिले। उसने प्रारंभ में कहा कि राज कुमार पुलिस स्टेशन नहीं गया था और कोई भी गवाह वहां नहीं गया था। हालांकि, उसने बाद में कहा कि राज कुमार वास्तव में पुलिस स्टेशन गया था और उसी के माध्यम से उसने बोलकर रिपोर्ट लिखवाई थी।

25. उसने आगे कहा कि विवेचना अधिकारी पुलिस स्टेशन में उपस्थित थे और उन्होंने उससे पूछताछ की। उसने इस सुझाव से इनकार किया कि प्रदर्श क-1 राज कुमार द्वारा पुलिस के कहने पर पुलिस स्टेशन में लिखी गई थी। उसे याद नहीं था कि क्या उसने प्रदर्श क-1 में यह कहा था कि अभियुक्त चंद्रिका यादव को पकड़ लिया गया है और पुलिस स्टेशन लाया गया है। प्रदर्श क-1 को देखने के पश्चात, उसने कहा कि उक्त तथ्य का उल्लेख रिपोर्ट के अंत में किया गया है। उसने आगे स्पष्ट किया कि चूंकि वे सभी एक साथ पुलिस स्टेशन पहुंचने वाले थे, इसलिए उसने अपने घर पर ही रिपोर्ट में यह लिखवा लिया था कि अभियुक्त चंद्रिका को पकड़ लिया गया है और पुलिस स्टेशन लाया गया है। उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उसने अपनी बहन के साथ बलात्कार होते हुए व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। उसने इस सुझाव से इनकार किया कि उसकी बहन ढीले चरित्र की थी। उसने आगे इस बात से इनकार किया कि उसके परिवार को अभियुक्त चंद्रिका के साथ



उसके अवैध संबंध होने का संदेह था। उसने इस सुझाव से भी इनकार किया कि अभियुक्त चंद्रिका को बाग में नहीं पकड़ा गया था। उसने बचाव पक्ष के इस सुझाव से भी इनकार किया कि अभियुक्त बाग से कुछ दूरी पर स्थित अपने खेत में अपनी भैंस चरा रहा था, कि उन्होंने उसे वहां पकड़ा और उसके साथ मारपीट की, उसकी बहन की भी पिटाई की, और तत्पश्चात उसके विरुद्ध झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई।

26. पी.डब्ल्यू.-2, श्रीनिवास, ने गवाही दी कि उसकी बस्ती के उत्तर में, उसके घर से लगभग 200 कदम की दूरी पर एक नीलगिरी का बाग स्थित है। वह मुन्नी लाल की बेटी, पीड़िता को जानता है, जो उसकी बस्ती की है। वह अभियुक्त चंद्रिका को भी जानता है, जो न्यायालय में उपस्थित था, क्योंकि वह उसके गांव बिछिया का निवासी है।

27. उसने आगे गवाही दी कि अपनी गवाही से लगभग सवा वर्ष पूर्व, शाम लगभग 4:30 बजे, वह उक्त नीलगिरी के बाग के उत्तर में अपनी भैंस चराने के पश्चात घर लौट रहा था। उसके घर का रास्ता बाग के पूर्वी तटबंध के किनारे से होकर गुजरता है। जब वह बाग के पूर्वी हिस्से में पहुंचा, तो उसने एक लड़की की आवाज़ सुनी। आवाज़ सुनकर, वह बाग के अंदर लगभग 10-15 कदम गया और देखा कि अभियुक्त, जो न्यायालय में उपस्थित था, ने पीड़िता के कपड़े फाड़ दिए थे, उसके ऊपर लेटा हुआ था, और उसके साथ बलात्कार कर रहा था। घटना देखने पर, उसने शोर मचाया। उसकी चीखें सुनकर, अभियुक्त चंद्रिका पीड़िता को छोड़कर भागने का प्रयास करने लगा। उसके शोर मचाने पर, राजेंद्र प्रसाद, गणेश प्रसाद और कुछ अन्य व्यक्ति वहां पहुंच गए, और उन सभी ने चंद्रिका को पकड़ लिया। चंद्रिका के पकड़े जाने के पश्चात, पुलिस चौकी या पुलिस स्टेशन से दो पुलिस कांस्टेबल वहां पहुंच गए। तत्पश्चात, कांस्टेबल चंद्रिका, पीड़िता और राजेंद्र को अपने साथ ले गए, जबकि वह घर लौट आया। उसने आगे कहा कि अगले दिन सुबह लगभग 10:00-11:00 बजे, विवेचना अधिकारी ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ किया।

28. उसने गवाही दिया कि जिस बाग में घटना हुई उसके उत्तर में एक नाला है, जिसके पार कृषि खेत हैं। वह नहीं बता सका कि वे खेत किसके थे। बाग के दक्षिण में बाबू लाल का खेत है, जबकि पूर्व में सहाय का खेत है। पश्चिमी दिशा में, वही नाला मुड़ता है, और उसके पार और खेत हैं, यद्यपि उसे उनके स्वामित्व का पता नहीं था। उसने यह भी कहा



कि उसे नहीं पता था कि पश्चिमी दिशा में नाले के पार स्थित खेत अभियुक्त चंद्रिका के थे या नहीं। उसने इस सुझाव से इनकार किया कि वह जानबूझकर इस तथ्य को छिपा रहा था। उसने आगे कहा कि वह घटना से पूर्व भी अभियुक्त चंद्रिका को जानता था। हालांकि, वह कभी उसके घर नहीं गया था, और न ही वह उसके परिवार के अन्य सदस्यों को जानता था। वह अभियुक्त के गांव के भगवान दास को जानता था, क्योंकि भगवान दास और दो या तीन अन्य लड़कों ने उसके साथ पढ़ाई की थी, यद्यपि उसे अन्य के नाम याद नहीं थे।

29. उसने गवाही दिया कि जब उसने घटना के समय पहली बार अभियुक्त को देखा, तो अभियुक्त उसके पश्चिम में लगभग 15 कदम की दूरी पर था। अभियुक्त ने पीड़िता को ज़मीन पर लिटा दिया था और उसके साथ जबरन यौन संबंध बना रहा था। ज़मीन पर कोई कपड़ा नहीं बिछा था। लड़की का सिर पूर्व की ओर और उसके पैर पश्चिम की ओर थे। चंद्रिका का चेहरा भी पूर्व की ओर और उसके पैर पश्चिम की ओर थे। जैसे ही उसने घटना को देखा, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, "दौड़ो, भाड़्यों, दौड़ो! इधर देखो!" उसका शोर सुनकर तुरंत, अभियुक्त उठा और भाग गया। उसके शोर मचाने के लगभग एक मिनट के भीतर, राजेंद्र, गणेश, लाला और दो या तीन अन्य व्यक्ति मौके पर पहुंच गए। उस समय, लड़की की मां नहीं आई थी। जब गवाह पहुंचे, तो अभियुक्त भाग रहा था। हालांकि, वह बाग से भागने में सफल नहीं हुआ था और घटनास्थल से केवल 15-20 कदम ही भागा था। उसे बाग के अंदर ही पकड़ लिया गया।

30. उसने आगे कहा कि अभियुक्त को पकड़ते समय, और उसके पश्चात, लोगों ने उसके साथ मारपीट की। अभियुक्त के पकड़े जाने के पश्चात, दो पुलिस कांस्टेबल बाग में पहुंचे। उसकी उपस्थिति में, वे अभियुक्त को बाग से ले गए। तत्पश्चात, वह अपनी भैंस की तलाश में गया, जो भटक गई थी। उसने नहीं देखा कि पुलिस ने अभियुक्त को ले जाने से पूर्व बांधा था या वे उसे वास्तव में कैसे ले गए थे।

31. उसने आगे गवाही दी कि अभियुक्त के पकड़े जाने के पश्चात, उसकी पीड़िता से कोई बातचीत नहीं हुई। उसने राजेंद्र या किसी अन्य गवाह से भी बात नहीं किया। उसने कहा कि जिस भैंस की वह तलाश में गया था, वह थोड़ी दूरी पर मिल गई। वह उसे घर ले



गया और लगभग शाम 5:00 बजे अपने घर पहुंचा। उसका घर राजेंद्र के घर के ठीक बगल में है। उस समय, न तो राजेंद्र और न ही राजेंद्र की मां अपने घर पर उपस्थित थे।

32. उसने आगे गवाही दिया कि विवेचना अधिकारी ने घटना के अगले दिन उसका बयान दर्ज किया। उसने यह भी कहा कि घटना के पश्चात, और विवेचना अधिकारी को अपना बयान देने से पूर्व, उसने किसी के साथ घटना की चर्चा नहीं की। उसने कहा कि जिस भैंस को वह घटना के दिन चराने के लिए ले गया था, वह अब उसके पास नहीं है, क्योंकि उसने बाद में उसे बेच दिया था। उसने आगे गवाही दिया कि घटना के समय, उसने पीड़िता के शरीर से खून निकलते नहीं देखा। हालांकि, उसके गाल, चेहरा और छाती लाल हो गए थे और उन पर खरोंचें आ गई थीं। उसने आगे कहा कि जब अभियुक्त भाग गया, तो पीड़िता उठी और खड़ी हो गई; वह भागी नहीं।

33. अंत में, उसने गवाही दी कि वह उसी समुदाय (बिरादरी) का है जिससे राजेंद्र है, यद्यपि वह राजेंद्र के परिवार का सदस्य नहीं है। उसने इस सुझाव से इनकार किया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी या अभियुक्त को नहीं पकड़ा गया था। उसने इस सुझाव से भी इनकार किया कि वह न तो कोई भैंस चराने ले गया था और न ही उसने ऐसी कोई घटना देखी थी, और यह कि वह राजेंद्र के साथ अपने सामुदायिक संबंध के कारण ही झूठी गवाही दे रहा था।

34. पी.डब्ल्यू.-3 के रूप में परीक्षित गणेश ने गवाही दी कि वह अकोलवा हरिजन बस्ती का निवासी है। मुन्नी लाल की बेटी पीड़िता भी उसी इलाके में रहती है, और वह उसे घटना से पूर्व से जानता है। अभियुक्त, चंद्रिका, जो न्यायालय में उपस्थित था, बिछिया टोला का निवासी है, और वह भी घटना से पूर्व से उसे ज्ञात था। उसके गांव के उत्तर में एक नीलगिरी का बाग स्थित है।

35. उसने आगे कहा कि अपनी गवाही से लगभग सवा वर्ष पूर्व, शाम लगभग 4:00-4:30 बजे, वह अपने घर पर बैठा था। उक्त बाग उसके घर से लगभग 200 कदम की दूरी पर स्थित है। उस समय, उसने "मुझे बचाओ, मुझे बचाओ" की चीखें सुनीं। शोर सुनकर, वह तुरंत बाग की ओर दौड़ा। उसके अलावा, राज बहादुर, लाला प्रसाद और राजेंद्र भी वहां गए। श्रीनिवास बाग के अंदर पहले से ही उपस्थित था। वहां उसने देखा कि अभियुक्त चंद्रिका,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



जो न्यायालय में उपस्थित था, भाग रहा था। उस स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित नहीं था। तत्पश्चात, उन्होंने पीछा करके अभियुक्त को पकड़ लिया।

36. न्यायालय द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में कि पीड़िता कहाँ थी, गवाह ने कहा कि वह बाग के अंदर पड़ी थी और उसकी समीज फटी हुई थी। पीड़िता ने उन्हें बताया कि अभियुक्त चंद्रिका, जो न्यायालय में उपस्थित था, ने उसके साथ बलात्कार किया है। गवाह ने आगे कहा कि अभियुक्त के पकड़े जाने के पश्चात, दो पुलिस कांस्टेबल मौके पर पहुंचे। वे पीड़िता, राजेंद्र और अभियुक्त चंद्रिका को पुलिस स्टेशन ले गए, जबकि वह अपने घर लौट आया।

37. उसने आगे गवाही दिया कि विवेचना अधिकारी (दरोगा जी) ने वर्तमान प्रकरण के संबंध में उससे पूछताछ किया था। उसका बयान घटना के अगले दिन उसके आवास पर दर्ज किया गया था। उसने विवेचना अधिकारी के समक्ष विशेष रूप से कहा था कि पीड़िता बाग में पड़ी थी और उसकी समीज फटी हुई थी। वह कोई कारण नहीं बता सका कि विवेचना अधिकारी ने धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज उसके बयान में इस तथ्य को दर्ज क्यों नहीं किया। उसने आगे कहा कि उसने विवेचना अधिकारी को सूचित किया था कि राजेंद्र घटनास्थल पर पहुंच गया था, लेकिन वह यह स्पष्ट नहीं कर सका कि यह तथ्य भी धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उसके बयान से क्यों छूट गया। उसने इस सुझाव से इनकार किया कि ये तथ्य किसी अन्य व्यक्ति के कहने पर बताए गए थे। गवाह ने आगे कहा कि वह राजेंद्र की ही जाति का है, यद्यपि वे एक-दूसरे से संबंधित नहीं हैं।

38. उसने आगे गवाही दी कि जिस बाग में घटना हुई वह जगदंबा प्रसाद का है। बाग से सटे कोई कृषि खेत नहीं हैं। बाग के पश्चिम में एक नाला है, पूर्व में एक और नाला है, गांव उत्तर दिशा में स्थित है, और दक्षिणी ओर एक आम का बाग स्थित है। उसने आगे कहा कि वह घटना से पूर्व भी अभियुक्त चंद्रिका को जानता था। हालांकि, घटना से पूर्व, उसकी उससे कभी कोई बातचीत नहीं हुई थी, और न ही उसने किसी अन्य व्यक्ति के साथ उसके बारे में चर्चा की थी। उसने किसी से अभियुक्त का नाम नहीं पूछा क्योंकि वह उसे पहले से जानता था और जानता था कि वह बिछिया का निवासी है। वह अभियुक्त के गांव के



कई अन्य निवासियों को भी जानता था। गवाह ने आगे कहा कि अभियुक्त चंद्रिका के पास उसके गांव में कोई कृषि भूमि नहीं थी। लाला तुलसी राम उसके गांव का निवासी है। वह गांव के पटवारी का नाम नहीं जानता था। उसने इस सुझाव से इनकार किया कि अभियुक्त के पास उसके गांव में कृषि भूमि थी और वह जानबूझकर इस तथ्य को छिपा रहा था। उसने आगे कहा कि जब वह बाग में पहुंचा, तो चंद्रिका उत्तर की ओर भाग रहा था। अभियुक्त को बाग के अंदर चार-पांच कदम के भीतर ही पकड़ लिया गया। जिन लोगों ने उसे पकड़ा, वे वह स्वयं, राजेंद्र, श्रीनिवास, लाला प्रसाद और राज बहादुर थे। न तो अभियुक्त को पकड़ते समय और न ही उसके पश्चात किसी ने उस पर हमला किया या उसे पीटा।

39. अपनी जिरह में पी.डब्ल्यू.-3 ने गवाही दिया कि अभियुक्त को पकड़ने के पश्चात, वे उसे राजेंद्र के घर ले गए। वे वहां लगभग 10 से 15 मिनट तक बैठे रहे। अभियुक्त को बांधा नहीं गया था और वह स्वतंत्र रूप से बैठा रहा। उस समय अभियोजन पक्ष के सभी गवाह राजेंद्र के घर पर उपस्थित थे। पीड़िता भी उनके साथ घर लौट आई थी। जब वे अभी भी बाग में थे, तो पीड़िता ने उन्हें सूचित किया कि चंद्रिका ने उसके साथ मारपीट किया है और बलात्कार किया है। उस दिन, उनके और श्रीनिवास के बीच घटना के संबंध में कोई बातचीत नहीं हुई।

40. गवाह ने आगे कहा कि राजेंद्र के घर पहुंचने के बाद, लगभग 20 मिनट बाद दो पुलिस कांस्टेबल वहां पहुंचे। कांस्टेबलों ने उससे बात नहीं की। वे पीड़िता और अभियुक्त को कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ पुलिस स्टेशन ले गए। प्रारंभ में, पुलिस स्टेशन ले जाते समय कांस्टेबलों ने अभियुक्त को उसके हाथों से पकड़ रखा था। फिर उसने स्पष्ट किया कि अभियुक्त के दोनों हाथ रस्सी से उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। कांस्टेबल उन्हें पैदल पुलिस स्टेशन ले गए। राजेंद्र भी अपने घर से कांस्टेबलों के साथ गया। राज बहादुर, लाला प्रसाद, श्रीनिवास और राज कुमार भी राजेंद्र के साथ पुलिस स्टेशन गए।

41. जब गवाह से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या घटना के दिन राजेंद्र की मां घर पर उपस्थित थीं, तो गवाह ने स्पष्ट किया कि राजेंद्र की मां सुबह कहीं गई थीं। वे शाम को लौटीं, जिसके बाद उन्हें घटना के बारे में पता चला और तत्पश्चात वे पुलिस स्टेशन गईं। वे भी



पुलिस कर्मियों के साथ पुलिस स्टेशन गई। गवाह ने इन सुझावों से इनकार किया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, कि वह केवल इसलिए झूठी गवाही दे रहा था क्योंकि वह राजेंद्र की ही जाति का था, या कि अभियुक्त को घटनास्थल पर नहीं पकड़ा गया था।

42. पीड़िता, जिसका परीक्षण पी.डब्ल्यू.-4 के रूप में किया गया, ने प्रारंभ में कहा कि उसके साथ कोई घटना नहीं हुई थी और ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई थी। उसके बाद उसने गवाही दिया कि यह घटना उसकी गवाही से एक वर्ष से अधिक समय पूर्व, चैत के माह में हुई थी, अर्थात् हाल ही में बीते हुए चैत से पूर्व वाले चैत में। शाम लगभग 4:30 बजे, वह शौच के लिए किसी अन्य व्यक्ति के नीलगिरी के बाग में गई थी। जैसे ही वह शौच के लिए बैठी, अभियुक्त, चंद्रिका, जो न्यायालय में उपस्थित था, पीछे से आया और उसे पकड़ लिया। उसने कहा कि वह घटना से पूर्व अभियुक्त को नहीं जानती थी।

43. उसने आगे गवाही दी कि अभियुक्त ने उस पर हमला किया, उसे ज़मीन पर गिरा दिया, और उस समय उसने सलवार और समीज पहनी हुई थी। अभियुक्त ने उसकी सलवार और समीज दोनों फाड़ दीं, उसके ऊपर चढ़ गया, उसके मुंह में उसकी ओढ़नी ठूंस दी, और उसके साथ गलत काम किया। न्यायालय के इस प्रश्न के उत्तर में कि "गलत काम" से उसका क्या तात्पर्य है, उसने कहा कि अभियुक्त ने उसकी लज्जा भंग की थी। उसने उसके अंतःवस्त्र (जांघिया) को उतार दिया और उसके साथ गलत काम किया। विशेष रूप से यह पूछे जाने पर कि क्या उसका तात्पर्य यह है कि अभियुक्त ने अपने जननांग को उसके मूत्र मार्ग में डाला था, उसने सकारात्मक उत्तर दिया। उसने आगे कहा कि उसने खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष किया। जब उसके मुंह में ठूंसा गया कपड़ा बाहर आ गया, तो वह मदद के लिए चिल्लाने लगी। उसकी चीखें सुनकर श्रीनिवास मौके पर पहुंचा और उसने भी शोर मचाना शुरू कर दिया।

44. गवाह ने आगे गवाही दिया कि श्रीनिवास के शोर मचाने पर, राज बहादुर, गणेश, लाला, अन्य ग्रामीण, और उसका भाई राजेंद्र घटनास्थल पर पहुंचे। श्रीनिवास को देखकर, अभियुक्त चंद्रिका उस स्थान से लगभग बीस कदम दूर चला गया। उसने आगे कहा कि उसके भाई राजेंद्र, गणेश और अन्य लोगों ने अभियुक्त चंद्रिका को पकड़ लिया। उसने अपने भाई और वहां उपस्थित अन्य लोगों को पूरी घटना सुनाई। कुछ ही समय बाद, एक पुलिस कांस्टेबल



और एक उप-निरीक्षक (दरोगा जी) घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने अभियुक्त को पकड़ लिया और उसे पुलिस स्टेशन ले गए। वह, उसका भाई, उसकी चाची और कई अन्य व्यक्ति भी पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन से, उसे पुलिस कर्मियों और अन्य व्यक्तियों के साथ अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका चिकित्सीय परीक्षण हुआ। वह लगभग तीन से चार दिन तक अस्पताल में भर्ती रही। उसने आगे कहा कि विवेचना अधिकारी ने घटना के लगभग तीन से चार दिन बाद पुलिस स्टेशन में उसका बयान दर्ज किया।

45. अपनी जिरह में, पी.डब्ल्यू.-4, पीड़िता ने कहा कि वह अनपढ़ है और अंग्रेजी कैलेंडर नहीं जानती है। वह 12.04.1986 की तिथि का महत्व नहीं समझती है। उसने कहा कि विवेचना अधिकारी ने उसके चिकित्सीय परीक्षण के दो दिन बाद उसका बयान दर्ज किया था। उसने विवेचना अधिकारी को सूचित किया कि घटना महीने की 12 तारीख को हुई थी, लेकिन उसने "4" या "86" अंक का उल्लेख नहीं किया था। उसे बिना किसी के बताए ही पता था कि तिथि 12 थी। उसने आगे कहा कि अपनी गवाही की तिथि को भी वह बिना किसी के बताए जानती थी कि आज 12 तारीख है। हालांकि, वह यह नहीं बता सकी कि वर्तमान माह अंग्रेजी या हिंदी कैलेंडर के अनुसार था। तत्पश्चात उसने कहा कि यह भादों का महीना था। गवाह ने आगे कहा कि उसने विवेचना अधिकारी को सूचित किया था कि अभियुक्त ने उसके मुंह में ओढ़नी ठूस दी थी। यदि यह तथ्य उसके बयान में दर्ज नहीं किया गया था, तो विवेचना अधिकारी इसे लिखना भूल गए होंगे। उसने आगे गवाही दी कि उसने विवेचना अधिकारी को यह भी सूचित किया था कि अभियुक्त ने अपने जननांग को उसके मूत्र मार्ग में डाला था। यदि वे विशिष्ट शब्द उसके बयान में दर्ज नहीं किए गए थे, तो वह ऐसी चूक का कोई कारण नहीं बता सकती। उसने आगे कहा कि वह "बलात्कार" शब्द का अर्थ नहीं जानती थी। हालांकि, उसने विवेचना अधिकारी को सूचित किया था कि अभियुक्त ने उसके साथ बलात्कार किया है।

46. जब उससे पूछा गया कि अर्थ न जानने के बावजूद वह "बलात्कार" अभिव्यक्ति का प्रयोग कैसे कर सकती है, तो उसने स्पष्ट किया कि उसने वास्तव में हिंदी में घटना को यह कहते हुए समझाया था कि अभियुक्त ने अपने जननांग को उसके मूत्र मार्ग में डाला था।



47. गवाह ने आगे गवाही दी कि जिस बाग में वह शौच के लिए गई थी, उसके पश्चिम में कृषि खेत थे। बाग से सटा हुआ खेत संहस का था। उस खेत के पार एक नाला था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसके साथ लगे खेत किसके थे। बाग की उत्तरी दिशा में भी एक नाला था, जिसके पार वह नहीं जानती थी कि किसके खेत स्थित थे। बाग के पूर्वी हिस्से में भी खेत थे, लेकिन वह उनके स्वामियों को नहीं पहचान सकी। दक्षिणी दिशा में आम का एक बाग था। उसने प्रारंभ में कहा कि उसका घर बाग के उत्तर में लगभग एक बीघा दूर स्थित था और उसके बाद उसने सुधार करते हुए कहा कि उसका घर नीलगिरी के बाग के दक्षिण में लगभग एक बीघा दूर स्थित था।

48. उसने आगे गवाही दी कि बाग के अंदर कोई पानी नहीं था, हालांकि पास के नाले में पानी था। वह शौच के लिए जाते समय एक डिब्बे में पानी ले गई थी। वह उस डिब्बे को पुलिस स्टेशन नहीं ले गई थी, और वह उसके घर पर ही रह गया था। उसने आगे कहा कि वह शौच नहीं कर सकी क्योंकि ऐसा करने से पहले ही घटना हो गई। गवाह ने आगे कहा कि अभियुक्त को बाग के अंदर ही पकड़ लिया गया था जब वह केवल दस कदम भागा था। श्रीनिवास, गणेश, राज बहादुर और अन्य व्यक्तियों ने उसे पकड़ा। उसने आगे गवाही दी कि जब श्रीनिवास उसकी चीखें सुनकर घटनास्थल पर पहुंचा, तो वह अकेला आया था और अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा रहा था।

49. गवाह ने आगे कहा कि अभियुक्त के पकड़े जाने के पश्चात, उसे और अभियुक्त चंद्रिका को उसके भाई राजेंद्र और अन्य ग्रामीणों द्वारा उसके घर ले जाया गया। घर ले जाते समय या उसके बाद अभियुक्त को किसी भी चीज से बांधा नहीं गया था। उनके घर पहुंचने के लगभग एक से डेढ़ घंटे बाद, पुलिस कर्मी वहां पहुंचे और अभियुक्त को उसके घर से हिरासत में ले लिया। उस समय, वह, उसका भाई, उसकी चाची और कई अन्य व्यक्ति भी पुलिस स्टेशन गए। उसने प्रारंभ में कहा कि राज कुमार पुलिस स्टेशन नहीं गया था, फिर कहा कि उसने उसे वहां नहीं देखा था, और तत्पश्चात कहा कि राज कुमार वास्तव में पुलिस स्टेशन गया था। उसने आगे कहा कि श्रीनिवास, लाला और गणेश भी पुलिस स्टेशन गए थे।



50. उसने आगे कहा कि पुलिस कर्मी अभियुक्त को उसके घर से गमछे से बांधकर ले गए।

उसने यह ध्यान नहीं दिया कि गमछा उसके हाथों में बंधा था या उसकी कमर में क्योंकि वह उस समय रो रही थी। गवाह ने कहा कि उसे याद नहीं कि जो उप-निरीक्षक उसके घर आए थे, वे भी उनके साथ पुलिस स्टेशन गए थे या नहीं। उसने आगे गवाही दी कि पुलिस स्टेशन में विवेचना अधिकारी ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ की, और उसने पूरी घटना बताई। उसने कहा कि वह उस स्थान पर उपस्थित नहीं थी जहां लिखित रिपोर्ट तैयार की गई थी। फिर उसने कहा कि लिखित रिपोर्ट अस्पताल में तैयार की गई थी और उसका भाई उसे अस्पताल से पुलिस स्टेशन ले गया था और वहां प्रस्तुत किया था। गवाह ने आगे कहा कि जब अभियुक्त चंद्रिका को पकड़े जाने के बाद उसके घर लाया गया, तो उसकी मां वहां उपस्थित थीं। हालांकि, उसकी मां उसके साथ पुलिस स्टेशन नहीं गई। उसने आगे गवाही दी कि अभियुक्त ने बाग के उत्तरी भाग में अपराध किया। उस स्थान पर कोई गड़ढा नहीं था; केवल एक ऊंचा तटबंध (मेड़) और एक जल निकासी का गड़ढा था। गवाह ने आगे कहा कि जब श्रीनिवास मौके पर पहुंचा, तो वह पहले ही बैठ चुकी थी, और जब तक अन्य गवाह पहुंचे, वह खड़ी हो चुकी थी। उसने आगे गवाही दी कि अभियुक्त ने उसे पकड़ लिया था और उसे घूंसी से मारा था। उसे उसके मुंह, हाथों, आंखों और कंधों पर चोटें आईं, और उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों, जिसमें उसकी छाती भी शामिल है, पर खरोंचें आईं। अभियुक्त ने उसके मुंह पर भी काटा, जिससे खून बहने लगा। उसने आगे कहा कि वर्तमान घटना से पूर्व किसी भी पुरुष ने कभी उसके साथ ऐसा कृत्य नहीं किया था।

51. गवाह ने आगे गवाही दी कि घटना के दौरान उसके निजी अंग से खून बहा, और खून ने उसकी सलवार को दागदार कर दिया। उसने स्वेच्छा से कहा कि उसके कपड़े फट गए थे और वह पुलिस स्टेशन और अस्पताल जाने से पूर्व कपड़ों का दूसरा सेट पहनकर गई थी। उसने आगे कहा कि फटे हुए कपड़े विवेचना अधिकारी को दिखाए गए थे, और उसके बाद स्पष्ट किया कि शायद उसके परिवार के सदस्यों ने उन्हें दिखाया था। उसने आगे कहा कि उसकी सलवार सफेद रंग की थी जिस पर फूलों के डिज़ाइन थे और उसकी समीज भी उसी



रंग और सामग्री की थी। गवाह ने आगे गवाही दी कि ज़मीन पर कोई कपड़ा या बिस्तर नहीं बिछाया गया था, जहां अभियुक्त ने अपराध किया।

52. उसने आगे कहा कि अभियुक्त ने लगभग दो से तीन घंटे तक उसका यौन उत्पीड़न किया।

श्रीनिवास के आने से पूर्व भी वह रो रही थी। उसके अनुसार, अभियुक्त ने "अनगिनत बार" अपने जननांग को बार-बार डाला और निकाला। उसने कहा कि वह पूरी घटना के दौरान रोती रही। अभियुक्त ने उसके हाथ पकड़ रखे थे, और उसके हाथ उसकी पीठ पर नहीं थे। वह पूरी घटना के दौरान संघर्ष करती रही। उसने आगे कहा कि उसे अभियुक्त द्वारा बार-बार किए गए कृत्य पसंद नहीं आए। गवाह ने आगे कहा कि उसे अभियुक्त का नाम पता चला क्योंकि मौके पर उपस्थित सभी व्यक्ति उसे "चंद्रिका" कह कर बुला रहे थे। घटना से पूर्व, वह उसे नहीं जानती थी।

53. अंत में, गवाह ने इन सुझावों से इनकार किया कि उसके परिवार के सदस्य उसके चरित्र से असंतुष्ट थे; कि उन्हें संदेह था कि उसका अभियुक्त के साथ अवैध संबंध है; कि वह घटना के दिन कभी बाग में नहीं गई थी; कि उसके साथ कोई घटना नहीं हुई थी; या कि वह जानती थी कि क्या अभियुक्त के पास बाग के उत्तर-पश्चिमी दिशा में स्थित कोई कृषि खेत है। उसने आगे कहा कि उसका मोहल्ला अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों द्वारा बसा हुआ है। उसने इस सुझाव से इनकार किया कि घटना के दिन उसके भाई और हरिजन मोहल्ले के अन्य निवासियों ने अभियुक्त को उसके कृषि खेत से पकड़ा था और उसके साथ मारपीट की थी। उसने इस सुझाव से भी इनकार किया कि उसके भाई ने उसके साथ मारपीट की थी या वह अपने भाई के दबाव में झूठी गवाही दे रही थी।

54. पी.डब्ल्यू.-5 जटा शंकर तिवारी, जो हेड कांस्टेबल थे, ने उक्त अपराध की चेक प्रथम सूचना रिपोर्ट और जीडी प्रविष्टि को सत्यापित किया है।

55. जिरह में उसने गवाही दी कि यह कहना असत्य है कि प्रदर्श क-1 प्रथम सूचना रिपोर्ट हमारे परामर्श से दर्ज की गई है और यह समय-पूर्व दर्ज की गई है।

56. पी.डब्ल्यू.-6, उप-निरीक्षक एस.एन. राय, विवेचना अधिकारी, ने गवाही दिया कि वे 12.04.1986 को थाना शाहपुर में उप-निरीक्षक के रूप में तैनात थे। उन्होंने कहा कि



मामला उनकी उपस्थिति में दर्ज किया गया था और उन्होंने हेड मोहरर जटा शंकर तिवारी, प्रथम सूचना रिपोर्ट के लेखक राज कुमार और शिकायतकर्ता के बयान दर्ज किए। उन्होंने आगे गवाही दी कि 13.04.1986 को, अभियुक्त चंद्रिका को हवालात में रखा गया था। उन्होंने अभियुक्त का बयान भी दर्ज किया, अभियुक्त और पीड़िता दोनों के कपड़े कब्जे में लिए, और उन्हें तैयार तथा सील किया। तत्पश्चात, उन्होंने श्रीनिवास, गणेश, लाला और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए और केस डायरी में प्रासंगिक प्रविष्टियां किया। उन्होंने पुलिस स्टेशन में अन्य गवाहों के बयान भी दर्ज किए। उन्होंने गवाहों की उपस्थिति में घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटनास्थल का नक्शा-नजरी उनके द्वारा प्रदर्श क-7 के रूप में सिद्ध किया गया, और तत्पश्चात उन्होंने आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जिसे प्रदर्श क-8 के रूप में चिह्नित किया गया। उन्होंने आगे गवाही दिया कि गवाह राजेंद्र कुमार ने उन्हें यह सूचित नहीं किया था कि रोने और चीखने की आवाज़ सुनकर, वह घटनास्थल पर पहुंचा। हालांकि, राजेंद्र कुमार ने स्वयं कहा था कि वह श्रीनिवास का शोर और आवाज़ सुनकर मौके पर पहुंचा था।

57. उनकी गवाही में तात्त्विक विरोधाभास हैं। प्रथम दृष्टया, यह प्रतीत होता है कि उन्होंने पीड़िता, जो उनकी बहन थी, के रोने, चीखने या पुकारने की कोई आवाज़ नहीं सुनी। उन्होंने आगे गवाही दी कि पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के समय, पीड़िता और अभियुक्त दोनों शिकायतकर्ता के साथ पुलिस स्टेशन आए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने आवश्यक कागजात तैयार किए और पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा। हालांकि, उन्होंने पुलिस स्टेशन में या 13.04.1986 को अस्पताल में पीड़िता का बयान दर्ज नहीं किया, यह कहते हुए कि उसे वहां भर्ती कराया गया था।

58. तत्पश्चात, उन्होंने यह कहकर अपनी ही बात का खंडन किया कि उन्होंने वार्ड के अंदर से पीड़िता की सलवार और समीज को कब्जे में लिया था। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने अस्पताल में पीड़िता का बयान दर्ज नहीं किया, यद्यपि चोट की रिपोर्ट यह इंगित नहीं करती है कि उसे इतनी गंभीर चोटें आई थीं जो उसे बयान देने में असमर्थ बनातीं। उन्होंने आगे गवाही दी कि उन्होंने पीड़िता की सलवार और समीज को विधि विज्ञान परीक्षण के लिए नहीं भेजा। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने पीड़िता के अंतःवस्त्र को कब्जे

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



में लिया था लेकिन उसे भी विधि विज्ञान परीक्षण के लिए नहीं भेजा। उनके द्वारा इस बात का कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि पीड़िता के साथ-साथ अभियुक्त के कपड़ों को विधि विज्ञान परीक्षण के लिए क्यों नहीं भेजा गया।

59. उन्होंने आगे कहा कि जब अभियुक्त को पुलिस स्टेशन लाया गया, तो उसके शरीर पर साधारण चोटें थीं। हालांकि, उन्होंने उन चोटों के संबंध में या उसके निजी अंगों के परीक्षण के लिए अभियुक्त को चिकित्सीय परीक्षण के लिए नहीं भेजा। अभियुक्त को आई चोटों का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, जो प्रथम दृष्टया अभियुक्त के लाभ में जाता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वे यह स्पष्ट करने की स्थिति में नहीं थे कि अभियुक्त को उसकी चोटों या उसके निजी अंगों के चिकित्सीय परीक्षण के लिए क्यों नहीं भेजा गया।

60. उन्होंने यह विशेष रूप से गवाही देकर कि न तो कथित घटनास्थल पर और न ही उसके आस-पास कोई गड़ढा मौजूद था, घटनास्थल के संबंध में अभियोजन पक्ष के मामले पर गंभीर संदेह उत्पन्न कर दिया। उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र में नीलगिरी का बाग था और बाग की भूमि पास के कृषि खेतों से लगभग डेढ़ फीट नीची थी। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने उन दो व्यक्तियों के बयान दर्ज नहीं किए जो कथित तौर पर अभियुक्त को घटनास्थल से पुलिस स्टेशन लाए थे। उनके अनुसार, पीड़िता बाग में पड़ी थी और उसकी समीज फटी हुई थी। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें याद नहीं कि क्या गवाहों, अर्थात् गणेश, राज बहादुर और ललाराम ने धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज अपने बयानों में राजेंद्र कुमार के नाम का उल्लेख किया था। उन बयानों में राजेंद्र कुमार के घटनास्थल पर पहुंचने का कोई संदर्भ नहीं है। उन्होंने आगे गवाही दी कि पीड़िता ने उनके समक्ष यह नहीं कहा था कि घटना की तिथि को अभियुक्त ने उसके मुंह में ओढ़नी ठूसकर उसका मुंह बंद कर दिया था। उन्होंने यह भी विशेष रूप से कहा कि पीड़िता ने उन्हें यह सूचित नहीं किया था कि अभियुक्त ने अपने निजी अंगों को उसके निजी अंगों में डाला था।

61. उन्होंने इस सुझाव से इनकार किया कि मामला पुलिस स्टेशन में झूठा दर्ज किया गया था। उन्होंने इस सुझाव से भी इनकार किया कि उन्होंने पक्षपातपूर्ण विवेचना किया था और अपीलार्थी के विरुद्ध गलत तरीके से आरोप पत्र प्रस्तुत किया था।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



62. पी.डब्ल्यू.-4/पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा में, जो 12.8.1987 को दर्ज की गई थी, कहा कि उसने अपने मूत्र मार्ग में पुरुष अंग डाले जाने के बारे में कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया था, जबकि मुख्य परीक्षा में पीड़िता से उसके मूत्र मार्ग में पुरुष अंग डाले जाने और गलत काम करने के बारे में सूचक प्रश्न पूछा गया था।
63. यह स्थापित विधि है कि मुख्य परीक्षा के दौरान सूचक प्रश्न की अनुमति नहीं है। यद्यपि विद्वान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने सूचक प्रश्न पर आपत्ति किया, विचारण न्यायालय ने आपत्ति के अधीन इसकी अनुमति दी। उसके बाद ही पीड़िता ने प्रश्न का सकारात्मक उत्तर दिया। प्रथम दृष्टया, यह प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त को फंसाने के लिए पीड़िता के मुंह में शब्द डालने का प्रयास कर रहा था।
64. विवेचना अधिकारी ने भी इस तथ्य का सत्यापन किया है कि पीड़िता ने यह नहीं बताया था कि अभियुक्त ने अपना पुरुष अंग उसके मूत्र मार्ग में डाला था।
65. पी.डब्ल्यू.-7, डॉ. किरण बाला श्रीवास्तव, ने 12.04.1986 को पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण किया। उन्होंने विशेष रूप से गवाही दिया कि आंतरिक परीक्षण पर, पीड़िता के जननांगों पर कोई चोट नहीं पाई गई। यह अभियोजन पक्ष के प्रकरण के विपरीत है, जिसमें पीड़िता ने कहा था कि अभियुक्त द्वारा 2 से 3 घंटे तक लगातार उसके साथ बलात्कार किया गया था। चिकित्सीय साक्ष्य, इसलिए, अभियोजन पक्ष के संस्करण की पुष्टि नहीं करता है।
66. पीड़िता ने यह भी गवाही दी थी कि अभियुक्त ने उसे जबरन ज़मीन पर लिटा दिया था और अपराध किया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटनास्थल नीलगिरी के बाग में स्थित एक गड्ढा था। हालांकि, चिकित्सीय परीक्षण अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करता है, क्योंकि पीड़िता के आंतरिक परीक्षण के दौरान कोई रक्तस्राव नहीं पाया गया।
67. पीड़िता की आयु के निर्धारण के लिए उसका रेडियोलॉजिकल परीक्षण भी किया गया, जिसमें उसकी आयु 16 से 17 वर्ष के बीच आंकी गई। हालांकि, रेडियोलॉजिकल परीक्षण आयु के निर्धारण के लिए कोई सटीक तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें लगभग 2 वर्ष का अंतर हो सकता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



68. पीड़िता का पैथोलॉजिकल परीक्षण भी किया गया। पैथोलॉजिकल निष्कर्षों के आधार पर, डॉक्टर ने राय दी कि बलात्कार के संबंध में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती। हालांकि, उन्होंने कहा कि पीड़िता यौन संबंध की अभ्यस्त प्रतीत होती है।
69. जिरह के दौरान, डॉक्टर ने गवाही दी कि शारीरिक परीक्षण पर, पीड़िता कथित घटना से पूर्व भी यौन संबंध की अभ्यस्त प्रतीत होती थी। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि पीड़िता के जननांगों या उसके शरीर के किसी अन्य भाग पर कोई चोट नहीं पाई गई। उन्होंने आगे गवाही दी कि परीक्षण के समय पीड़िता के शरीर पर खून के धब्बे या रक्तस्राव के कोई निशान नहीं पाए गए। डॉक्टर ने यह भी कहा कि पीड़िता उनके समक्ष न्यायालय में उपस्थित नहीं थी और वह व्यक्तिगत रूप से उसे नहीं जानती थीं।
70. पी.डब्ल्यू.-8, मुरली धर, ने गवाही दी कि उन्होंने 12.04.1986 को पीड़िता की आयु के निर्धारण के लिए उसका रेडियोलॉजिकल (एक्स-रे) परीक्षण किया था। उन्होंने परीक्षण के दौरान तैयार की गई एक्स-रे प्लेटों को सिद्ध किया।
71. पी.डब्ल्यू.-9, डॉ. राजेश कुमार, जिन्होंने 12.04.1986 को पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण किया, ने गवाही दी कि उन्होंने पीड़िता के शरीर पर कई चोटें पाईं। हालांकि, उसके शरीर के पिछले हिस्से पर कोई चोट नहीं पाई गई। उसके चेहरे और दाहिने हाथ पर पाई गई चोटें प्रकृति में साधारण थीं।
72. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि उपरोक्त चिकित्सीय साक्ष्य के दृष्टिगत, पीड़िता नियमित रूप से अभियुक्त से मिल रही थी और उनके संबंधों का उसके परिवार के सदस्यों द्वारा विरोध किया जाता था। यह तर्क दिया गया है कि उसके भाई द्वारा उस पर हमला किया गया था और, परिणामस्वरूप, पीड़िता और अभियुक्त दोनों को चोटें आईं। हालांकि, अभियुक्त को आई चोटों का न तो चिकित्सीय परीक्षण किया गया और न ही अभियोजन पक्ष द्वारा उन्हें स्पष्ट किया गया।
73. जिरह के दौरान, डॉक्टर ने विशेष रूप से गवाही दी कि यदि पीड़िता गिर जाती तो उपरोक्त सभी चोटें संभव थीं। उन्होंने आगे कहा कि सभी चोटें केवल पीड़िता के शरीर के सामने वाले हिस्से पर मौजूद थीं। यह अभियोजन पक्ष के मामले के असंगत है कि नीलगिरी के



बाग में स्थित एक गड्ढे में अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया था, जहां, अभियोजन पक्ष के अनुसार, ज़मीन पर कोई कपड़ा नहीं बिछाया गया था। इस संस्करण के बावजूद, पीड़िता के शरीर के पिछले हिस्से पर एक भी चोट नहीं पाई गई, जो अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह उत्पन्न करता है।

74. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त का बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों और संपूर्ण अभियोजन पक्ष के मामले से इनकार किया। उसने कहा कि शिकायतकर्ता का कृषि खेत उसके अपने खेत के पास था और शिकायतकर्ता अपने मवेशियों को उसके खेत में चराता था। जब भी उसने इस पर आपत्ति की, शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों ने उसे धमकाया और उसके साथ मारपीट की। उसने आगे कहा कि उसे उसके खेत से पकड़ा गया, पीटा गया और वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया।

75. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के सावधानीपूर्वक परीक्षण और पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार करने के पश्चात, यह न्यायालय पाता है कि अभियोजन पक्ष का मामला तात्विक विरोधाभासों, चूकों और विसंगतियों से घिरा हुआ है, जो इसकी सत्यता के संबंध में गंभीर संदेह उत्पन्न करते हैं। अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाहियां घटना के तरीके, घटनास्थल, अभियुक्त को पकड़ने और घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित तात्विक विवरणों पर पूरी तरह से सुसंगत नहीं हैं। पीड़िता की गवाही भी उसके पिछले बयान से तात्विक सुधारों से ग्रस्त है, विशेष रूप से प्रवेशन के आरोप के संबंध में, जिसका विवेचना अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए बयान द्वारा समर्थन नहीं किया जाता है।

76. चिकित्सीय साक्ष्य अभियोजन पक्ष के संस्करण की पुष्टि नहीं करता है। पीड़िता के जननांगों पर कोई चोट नहीं पाई गई, पैथोलॉजिकल परीक्षण से बलात्कार के संबंध में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकी, और डॉक्टर ने राय दी कि पीड़िता यौन संबंध की अभ्यस्त प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त, यद्यपि अभियोजन पक्ष ने खुरदरी ज़मीन पर लंबे समय तक जबरन यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, पीड़िता की पीठ पर कोई चोट नहीं पाई गई, जिससे अभियोजन पक्ष की कहानी संदिग्ध हो जाती है। विवेचना अधिकारी की पीड़िता और

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अभियुक्त के कपड़ों को विधि विज्ञान परीक्षण के लिए न भेजने, अभियुक्त के शरीर पर चोटें होने के बावजूद उसका चिकित्सीय परीक्षण न कराने, और ऐसी चूकों को स्पष्ट न करने की विफलता ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण को और कमजोर कर दिया है।

77. यह भली-भांति स्थापित है कि दोषसिद्धि तभी कायम रखी जा सकती है, जब अभियोजन पक्ष अभियुक्त के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में सफल हो। वर्तमान वाद में, चक्षुदर्शी साक्ष्य में विसंगतियों, चिकित्सीय पुष्टि की कमी, और विवेचना में कमियों का संचयी प्रभाव एक युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न करता है, जिसका लाभ अनिवार्य रूप से अपीलार्थी को मिलना चाहिए। तदनुसार, इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित करने में विफल रहा है। दोषसिद्धि और दंडादेश का आक्षेपित निर्णय, इसलिए, कायम नहीं रखा जा सकता है और अपास्त किए जाने योग्य है।

78. पूर्वगामी चर्चा के दृष्टिगत, इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के विरुद्ध अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित करने में विफल रहा है। परिणामस्वरूप, अपीलार्थी संदेह के लाभ का हकदार है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज दोषसिद्धि के निष्कर्ष और दंडादेश का आदेश विधि की दृष्टि में कायम नहीं रखा जा सकता है और तदनुसार, अपास्त किया जाता है। अपील, इसलिए, स्वीकार की जाती है।

79. अपीलार्थी, चंद्रिका को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। चूंकि अपीलार्थी पहले से ही जमानत पर है, इसलिए उसे आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। उसके जमानत बंधपत्र रद्द किए जाते हैं, और प्रतिभू उन्मोचित किए जाते हैं।

80. सूचना और आवश्यक अनुपालन के लिए विचारण न्यायालय के अभिलेख के साथ इस निर्णय की एक प्रमाणित प्रति तत्काल संबंधित न्यायालय को प्रेषित की जाए।

81. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति को निर्देश दिया जाता है कि वह अपीलार्थी की न्याय मित्र डॉ. आबिदा सैयद को वर्तमान वाद में प्रदान की गई विधिक सहायता के लिए उनके



पारिश्रमिक के रूप में लागू नियमावली के अनुसार 20,000/- रुपये (केवल बीस हजार रुपये) की राशि का भुगतान करे।

(न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद)

11 अगस्त, 2026

एम. तारिक

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”